



कर्मचारी राज्य बीमा निगम
(श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार)
EMPLOYEES' STATE INSURANCE CORPORATION
(Ministry of Labour & Employment, Govt. of India)



क्षेत्रीय कार्यालय, बिहार/Regional Office, Bihar
पंचदीप भवन, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, पटना-800001
Panchdeep Bhawan, Nehru Marg, Patna - 01
✉ rd-bihar@esic.gov.in ✉ EsicPatna ☎ 0612-2521928
🌐 www.esic.gov.in/robihar.esic.gov.in 📱 Esicpatna

सं. 42-A-33/13/Assistant/2022/Estt.III

दिनांक: 16-12-2025

कार्यालय आदेश सं. 236 वर्ष 2025

सक्षम प्राधिकारी ने विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक दिनांक 16.12.2025 में की गयी अनुशंसा के अनुसार बिहार क्षेत्र में तैनात उच्च श्रेणी लिपिक/उच्च श्रेणी लिपिक रोकड़िया संवर्ग के कर्मचारी को सहायक/प्रधान लिपिक संवर्ग में सातवें वेतन आयोग के पे-मैट्रिक्स, पे-लेवल - 6 (रु 9300 - 34800) में नियमित पदोन्नति के आदेश दिए हैं:-

The competent authority has ordered regular promotion of the employee of Upper Division Clerk/Upper Division Clerk Cashier cadre posted in Bihar region to Assistant/Head Clerk cadre in the Pay Matrix, Pay Level - 6 (Rs. 9300 - 34800) of Seventh Pay Commission as per the recommendation of Departmental Promotion Committee meeting held on 16.12.2025:-

क्र. सं.	कर्मचारी का नाम	कर्मचारी सं.	वर्तमान तैनाती	आदेशित तैनाती (अस्थायी)
1	श्रीमती श्रीलता कुमारी	147595	चिकित्सा शाखा, क्षेत्रीय कार्यालय, पटना	यथावत
2	श्री रामानुज तिवारी	122584	क.रा.बी.निगम चिकित्सा महाविद्यालय सह अस्पताल, बिहटा	यथावत
3	श्री कृष्णा कुमार	106010	बीमा-II शाखा	यथावत
4	श्री राजेंद्र प्रसाद	104390	बीमा-V शाखा	यथावत
5	श्री सुधीर कुमार	111756	क.रा.बी.निगम चिकित्सा महाविद्यालय सह अस्पताल, बिहटा	यथावत

- उपर्युक्त कर्मचारी की सहायक संवर्ग में नियमित प्रोन्नति उनके प्रोन्नति पद पर कार्यग्रहण की तिथि से मानी जाएगी।

Regular promotion of the above employee in the Assistant Cadre will be considered from the date of joining the promotional post.

- यदि कर्मचारी नियमित प्रोन्नति स्वीकार नहीं करते हैं तो इसकी सूचना पत्र प्राप्ति के 07 दिनों के अंदर प्रशासन शाखा को भेजे। नियमित प्रोन्नति स्वीकार नहीं करने की स्थिति में पुनः उन्हें एक वर्ष तक इस पद पर नियमित प्रोन्नति नहीं दी जाएगी तथा नियमानुसार उनकी वरीयता की क्षति होगी। इस एक वर्ष की अवधि के दौरान यदि उनसे कनीय कर्मचारी को इस पद पर नियमित प्रोन्नति होती है तो वो कनीय कर्मचारी सहायक/प्रधान लिपिक संवर्ग की वरीयता सूची में उनसे वरीय होंगे।

If the employee does not accept regular promotion, then send its information to the Administration Branch within 07 days of receipt of the order. In case of not accepting regular promotion, he will not be given regular promotion to this post for one year and as per rules, his seniority will be lost. During this one year period, if a junior employee gets regular promotion to this post, then that junior employee will be senior to him in the seniority list of Assistant/Head Clerk cadre.

- उपर्युक्त कर्मचारी को प्रोन्नति कर्मचारी राज्य बीमा निगम (कर्मचारीवृन्द एवं सेवा की शर्तें) विनियम, 2023 जो समय-समय पर संशोधित होते रहे हैं के अधीन इस संवर्ग में लागू होने वाली सेवा शर्तों के तहत होगी।

Promotion of the above employee will be subject to the service conditions applicable to

the cadre under the Employees' State Insurance Corporation (Staff and Conditions of Service) Regulations, 2023 as amended from time to time.

4. उपरोक्त कर्मचारी के द्वारा FR-22(1)a(1) के अंतर्गत वेतन निर्धारण हेतु विकल्प का प्रयोग आदेश निर्गत तिथि से एक माह के अंदर किया जा सकता है। एक माह के पश्चात वेतन निर्धारण हेतु प्राप्त आवेदन पर कोई विचार नहीं किया जाएगा। पूर्व में प्रोन्नत वेतनमान में वेतन निर्धारण की स्थिति में पुनः वेतन निर्धारण नहीं होगा।
The option for pay fixation under FR-22(1)a(1) can be exercised by the above employee within one month from the date of issue of the order. No application for pay fixation received after one month will be considered. In the event of pay fixation in the earlier promoted pay scale, there will be no re-fixation.
5. नियमित प्रोन्नत पद पर योगदान की स्वीकृति/अस्वीकृति प्रशासन शाखा को भेजी जाए।
Acceptance/rejection to regular promoted post should be sent to the Administration Branch.

सेवा में,

संबंधित कर्मचारी।

(आशीष रंजन kumar)

सहायक निदेशक (प्रशासन)

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं अग्रेतर कार्यार्थ:-

1. महानिदेशक (स्था-2), कर्मचारी राज्य बीमा निगम, पंचदीप भवन, सी.आई.जी. मार्ग, नई दिल्ली-110002 को मुख्यालय पत्रांक सं. A-33/19/49/2022 - E-II दिनांक 04.09.2024 के क्रम में सूचनार्थ।
2. चिकित्सा अधीक्षक, क.रा.बी. निगम चिकित्सा महाविद्यालय सह अस्पताल, बिहटा, पटना।
3. चिकित्सा अधीक्षक, क.रा.बी. निगम आदर्श अस्पताल, फुलवारीशरीफ, पटना।
4. सभी शाखाधिकारी, क्षेत्रीय कार्यालय, क.रा.बी. निगम, पटना।
5. सभी शाखा प्रबंधक, शाखा कार्यालय/DCBO, बिहार क्षेत्र।
6. क्षेत्रीय निदेशक के निजी सचिव।
7. शाखा अधिकारी (ई.डी.पी. शाखा) को बिहार क्षेत्र की क्षेत्रीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
8. व्यक्तिगत संचिका/गार्ड फाइल/सूचना पट्ट।